भारत सरकार

भारत
का
विधि
आयोग

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के स्पष्टीकरण के संशोधन के लिए प्रस्ताव जिससे कि ''भागीदारी'' की परिभाषा में मौखिक भागीदारी और कौटुंबिक समझौते को सम्मिलित किया जा सके ।

रिपोर्ट सं. 208

जुलाई, 2008

भारत का विधि आयोग

(रिपोर्ट सं. 208)

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के स्पष्टीकरण के संशोधन के लिए प्रस्ताव जिससे कि ''भागीदारी'' की परिभाषा में मौखिक भागीदारी और कौटुंबिक समझौते को सम्मिलित किया जा सके ।

केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्, अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग द्वारा 30 जुलाई, 2008 को प्रस्तुत किया गया ।

18वें विधि आयोग का 1 सितंबर, 2006 से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली के तारीख 16 अक्तूबर, 2006 के आदेश सं. ए-45012/1/2006-प्रशा.III (वि.का.) द्वारा गठन किया गया था ।

विधि आयोग अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, एक पूर्णकालिक सदस्य और 7 अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बना है ।

अध्यक्ष

माननीय डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्

सदस्य-सचिव

डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल

पूर्णकालिक सदस्य

प्रो. डा. ताहिर महमूद

अंशकालिक सदस्य

डा. (श्रीमती) देविन्दर कुमारी रहेजा
डा. के. एन. चंद्रशेखरन पिल्लै
प्रो. (श्रीमती) लक्ष्मी जमभोलकर
श्रीमती कीर्ति सिंह
श्री न्यायमूर्ति आई. वेंकटनारायण
श्री ओ. पी. शर्मा
डा. (श्रीमती) श्यामल्हा पप्पू

विधि आयोग भारतीय विधि संस्थान भवन,
दूसरी मंजिल, भगवान दास रोड,
नई दिल्ली - 110 001 में अवस्थित है

विधि आयोग कर्मचारिवृंद

सदस्य - सचिव

डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल

अनुसंधान कर्मचारिवृंद

श्री सुशील कुमार	:	संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी
श्रीमती पवन शर्मा	:	अपर विधि अधिकारी
श्री जे. टी. सुलक्षण राव	:	अपर विधि अधिकारी
श्री सर्वन कुमार	:	उप विधि सलाहकार
श्री ए. के. उपाध्याय	:	उप विधि अधिकारी
डा. वी. के. सिंह	:	सहायक विधि सलाहकार
श्री सी. राधा कृष्ण	:	सहायक सरकारी अधिवक्ता

प्रशासन कर्मचारिवृंद

श्री डी. चौधरी	:	अवर सचिव
श्री एस. के. बसु	:	अनुभाग अधिकारी
श्रीमती रजनी शर्मा	:	सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी

इस रिपोर्ट का पाठ इंटरनेट पर http://www.lawcommissionofindia.nic.in पर उपलब्ध है

© भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

इस दस्तावेज का पाठ (सरकारी चिह्नों को छोड़कर) किसी रूप विधान में या किसी माध्यम से निःशुल्क प्रत्युत्पादित किया जा सकता है परंतु यह कि उसको शुद्ध रूप से प्रत्युत्पादित किया जाए और उसका भ्रामक संदर्भ में उपयोग न किया जाए । इस सामग्री को सरकार के प्रतिलिप्यधिकार के रूप में अभिस्वीकार किया जाना चाहिए और दस्तावेज का नाम विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए ।

इस रिपोर्ट से संबंधित किसी पूछताछ के लिए सदस्य-सचिव को संबोधित किया जाना चाहिए और उसे या तो डाक द्वारा भारत का विधि आयोग, दूसरी मंजिल, भारतीय विधि संस्थान भवन, भगवान दास रोड, नई दिल्ली - 110 001, भारत को भेजा जाना चाहिए या ई-मेल द्वारा : lci-dla@nic.in को भेजा जाना चाहिए ।

डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्
(भूतपूर्व न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय)
अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग

भा. वि. सं. भवन (दूसरा तल),
भगवान दास रोड,
नई दिल्ली-110001
टेली. : 91-11-23384475
फैक्स : 91-11-23383564

अ.शा.पत्र सं. 6(3)136/2008-वि.आ.(वि.अ.)

30 जुलाई, 2008

प्रिय डा. भारद्वाज जी

विषय : हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के स्पष्टीकरण के संशोधन के लिए प्रस्ताव जिससे कि ''भागीदारी'' की परिभाषा में मौखिक भागीदारी और कौटुंबिक समझौते को सम्मिलित किया जा सके ।

मैं उपर्युक्त विषय पर भारत के विधि आयोग की 208वीं रिपोर्ट इसके साथ अग्रेषित कर रहा हूं ।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 सहदायिकी संपत्ति में हित के न्यागमन के बारे है । इस अधिनियम को 2005 के अधिनियम 39 द्वारा संशोधित किया गया था और उसमें एक नई धारा 6 को प्रतिस्थापित किया गया था । धारा 6 की उपधारा (5) और उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है :

> ''(5) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे विभाजन को लागू नहीं होगी जो 20 दिसंबर, 2004 से पूर्व किया गया है ।
>
> **स्पष्टीकरण** - इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''विभाजन'' से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किसी विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा किया

गया कोई विभाजन या किसी न्यायालय की किसी डिक्री द्वारा किया गया विभाजन अभिप्रेत है ।''

यह स्पष्टीकरण ''विभाजन'' को किसी ऐसे विभाजन के रूप में, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1908 के अधीन सम्यक् रूप से रजिष्ट्रीकृत विभाजन के किसी विलेख के निष्पादन द्वारा किया गया हो या ऐसे विभाजन के रूप में, जो न्यायालय की डिक्री द्वारा किया गया हो, परिभाषित करता है । ''विभाजन'' की इस परिभाषा में मौखिक विभाजन और कौटुंबिक समझौता सम्मिलित नहीं है ।

चूंकि संशोधित अधिनियम ''विभाजन'' की परिभाषा के भीतर मौखिक ''विभाजन'' और कौटुंबिक समझौते को, जो हिंदू विधि के अधीन संपत्ति के विभाजन के तरीकों में सामान्य और विधिक रूप से स्वीकृत हैं, सम्मिलित करने में असफल रहा है, अतः आयोग ने इस विषय को स्वप्रेरणा से उठाया है ।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 21.01.1976 के काले और अन्य बनाम समेकन उपनिदेशक और अन्य । , 1976(3) एस.सी.सी. 119 में अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि कोई दस्तावेज, जो प्रारंभिक कौटुंबिक समझौते के किसी ज्ञापन की प्रकृति का है और जो न्यायालय के समक्ष नामांतरणों के लिए उसकी जानकारी हेतु फाइल किया जाता है, अनिवार्य रूप से रजिष्ट्रीकरणीय नहीं है और इसलिए उसका कौटुंबिक समझौते के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है और वह पक्षकारों पर आबद्धकर है । उच्चतम न्यायालय का उक्त दृष्टिकोण उच्चतम न्यायालय के और प्रिवी काउंसिल तथा उच्च न्यायालयों के विनिश्चयों के लंबे अनुक्रम में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित और दक्षतापूर्वक

प्रस्तुत किया गया है । न्यायालयों ने कौटुंबिक समझौते की विधिमान्यता के बारे में उदार और विस्तृत दृष्टिकोण अपनाया है और सदैव उसकी पुष्टि करने और उसे बनाए रखने का प्रयास किया है । आयोग का यह विचार है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के स्पष्टीकरण में यथोचित संशोधन के लिए प्रस्ताव लोक हित में पूर्ण रूप से आवश्यक है ।

आयोग इस रिपोर्ट को तैयार करने में सुश्री हेमा संपथ, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दी गई योग्य सहायता को अभिलेखबद्ध करती है ।

सादर

भवदीय,

हस्ता/-

(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्)

डा. एच. आर. भारद्वाज,
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार,
विधि और न्याय मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली - 110001

भारत का विधि आयोग

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के स्पष्टीकरण के संशोधन के लिए प्रस्ताव जिससे कि ''भागीदारी'' की परिभाषा में मौखिक भागीदारी और कौटुंबिक समझौते को सम्मिलित किया जा सके ।

विषय-वस्तु

1.	प्रस्तावना	10
2.	न्यायिक दृष्टिकोण	15
3.	सिफारिश	21

1. प्रस्तावना

1.1 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (1956 का 30) हिंदू संहिता का एक भाग है जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 और हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 भी सम्मिलित हैं । इन अधिनियमों ने हिंदुओं से संबंधित विधि में करीब-करीब क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए हैं । इसमें विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, आदि से संबंधित विधि को संहिताबद्ध किया गया है ।

1.2 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने उत्तराधिकार से संबंधित विधि में, विशेष रूप से हिंदू स्त्रियों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन किया । प्रथम बार कोई हिंदू स्त्री संपत्ति की पूर्ण स्वामी बन सकती थी । वह पुरुष प्रतिस्थानी के साथ समान रूप से विरासत में संपत्ति प्राप्त कर सकती थी और किसी विधवा को भी उसके पति की संपत्ति और उसके पिता की संपत्ति में भी उत्तराधिकार के संबंध में महत्व दिया गया था । हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को 2005 में हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 39) द्वारा यह उपबंध करने के लिए संशोधित किया गया था कि मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू कुटुंब में किसी सहदायिक की पुत्री जन्म से ही अपने स्वयं के अधिकार से उसी रीति से सहदायिक बन जाएगी जैसे पुत्र होता है । उसे उक्त संपत्ति के संबंध में किसी पुत्र के समान वही अधिकार प्राप्त होंगे और उसके वही दायित्व होंगे ।

1.3 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 सहदायिकी संपत्ति में हित के न्यागमन के बारे में है । धारा 6, 2005 के अधिनियम 39 द्वारा उसका प्रतिस्थापन

किए जाने के पूर्व, यथा निम्नलिखित थी :-

"6. सहदायिकी संपत्ति में के हित का न्यागमन - जब कि कोई हिंदू पुरुष अपनी मृत्यु के समय मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति में हित रखते हुए इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् मरे तब उस संपत्ति में उस का हित सहदायिकी के उत्तरजीवी सदस्यों पर उत्तरजीविता के आधार पर न्यागत होगा, इस अधिनियम के अनुसार नहीं :

परंतु यदि मृतक अनुसूची (1) में विनिर्दिष्ट किसी नारी संबंधिनी को या उस वर्ग में विनिर्दिष्ट ऐसे किसी पुरुष संबंधी को जो ऐसी संबंधिनी के माध्यम से दावा करता हो, अपना उत्तरजीवी छोड़े तो मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति में मृतक का हित इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा न्यागत होगा, उत्तरजीविता द्वारा नहीं ।

स्पष्टीकरण 1 .....

स्पष्टीकरण 2....."

1.4 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की नई धारा 6 यथा निम्नलिखित है :

6. सहदायिकी संपत्ति में के हित का न्यागमन - "(1) हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से ही मिताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी संयुक्त हिंदू कुटुंब में किसी सहदायिक की पुत्री, -

(क) जन्म से ही अपने स्वयं के अधिकार से उसी रीति से सहदायिक बन जाएगी जैसे पुत्र होता है ;

(ख) सहदायिकी संपत्ति में उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे तब प्राप्त हुए होते जब वह पुत्र होती ;

(ग) उक्त सहदायिकी संपत्ति के संबंध में पुत्र के समान ही दायित्वों के अधीन होगी ।

और हिंदू मिताक्षरा सहदायिक के प्रति किसी निर्देश से यह समझा जाएगा कि उसमें सहदायिक की पुत्री के प्रति कोई निर्देश सम्मिलित है :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी व्ययन या अन्य संक्रामण को, जिसके अंतर्गत संपत्ति का ऐसा कोई विभाजन या वसीयती व्यय भी है, जो 20 दिसंबर, 2004 से पूर्व किया गया था, प्रभावित या अविधिमान्य नहीं करेगी ।

(2) कोई संपत्ति, जिसके लिए हिंदू नारी उपधारा (1) के आधार पर हकदार बन जाती है, उसके द्वारा सहदायिकी स्वामित्व की प्रसंगतियों सहित धारित की जाएगी और, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वसीयती व्ययन द्वारा उसके द्वारा व्ययन किए जाने योग्य संपत्ति के रूप में समझी जाएगी ।

(3) जहां किसी हिंदू की, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ के पश्चात् मृत्यु हो जाती है, वहां मिताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी संयुक्त हिंदू कुटुंब की संपत्ति में उसका हित, यथास्थिति, इस अधिनियम के अधीन वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा न्यागत हो जाएगा परंतु उत्तरजीविता के आधार पर नहीं और सहदायिकी संपत्ति इस प्रकार विभाजित की गई समझी जाएगी मानो विभाजन हो चुका था, और -

(क) पुत्री को वही अंश आबंटित होगा जो पुत्र को आबंटित किया गया है ;

(ख) पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री का अंश, जो उन्हें तब प्राप्त हुआ होता यदि वे विभाजन के समय जीवित होते, ऐसे पूर्व मृत पुत्र या ऐसी पूर्व मृत पुत्री की उत्तरजीवी संतान को आबंटित किया जाएगा ; और

(ग) किसी पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत संतान का अंश, जो उस संतान ने उस रूप में प्राप्त किया होता यदि वह विभाजन के समय जीवित होती, यथास्थिति, पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत संतान की संतान को आबंटित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए हिंदू मिताक्षरा सहदायिक का हित संपत्ति में का वह अंश समझा जाएगा जो उसे आबंटित किया गया होता यदि उसकी अपनी मृत्यु से अव्यवहित पूर्व संपत्ति का विभाजन किया गया होता, इस बात का विचार किए बिना कि वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं ।

(4) हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ के पश्चात् कोई न्यायालय किसी पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध उसके पिता, पितामह, या प्रपितामह से शोध्य किसी ऋण की वसूली के लिए हिंदू विधि के अधीन पवित्र बाध्यता के आधार पर ही ऐसे किसी ऋण को चुकाने के लिए ऐसे पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध कार्यवाही करने के किसी अधिकार को मान्यता नहीं देगा :

परंतु हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से पूर्व लिए गए ऋण की दशा में इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी, -

(क) यथास्थिति, पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए किसी ऋणदाता का अधिकार ; या

(ख) किसी ऐसे ऋण के संबंध में या उसके चुकाए जाने के लिए किया गया कोई संक्रामण और कोई ऐसा अधिकार या संक्रामण पवित्र बाध्यता के नियम के अधीन वैसी ही रीति में और उसी सीमा तक प्रवर्तनीय होगा जैसा कि उस समय प्रवर्तनीय होता जबकि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 अधिनियमित न किया गया होता ।

स्पष्टीकरण - खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, ''पुत्र'', ''पौत्र'' या ''प्रपौत्र'' पद से यह समझा जाएगा कि वह यथास्थिति, ऐसे पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के प्रति निर्देश है, जो हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ के पूर्व पैदा हुआ था या दत्तक ग्रहण किया गया था ।

(5) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे विभाजन को लागू नहीं होगी जो 20 दिसंबर, 2004 से पूर्व किया गया है ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''विभाजन'' से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किसी विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा किया गया कोई

विभाजन या किसी न्यायालय की किसी डिक्री द्वारा किया गया विभाजन अभिप्रेत है ।''

1.5 किसी सहदायिक की पुत्री किसी पुत्र के समान हो गई और उसे किसी पुत्र के समान सहदायिकी संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त हो गए ।

1.6 धारा 6(1) का परंतुक ऐसे किसी व्ययन या संक्रामण का, जिसके अंतर्गत संपत्ति का कोई विभाजन या वसीयती व्ययन भी है, जो 20 दिसंबर, 2004 के पूर्व हुआ था, संरक्षण करता है ।

1.7 उप धारा (5) के पश्चात् संलग्न स्पष्टीकरण ''भागीदारी'' को किसी ऐसे विभाजन के रूप में, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत भागीदारी के विलेख के निष्पादन द्वारा किया गया हो या ऐसे विभाजन के रूप में, जो न्यायालय की किसी डिक्री द्वारा किया गया हो, परिभाषित करता है ।

1.8 यह अधिनियम ''विभाजन'' की परिभाषा के अंतर्गत मौखिक विभाजन और कौटुंबिक समझौते को, जो हिंदू विधि के अधीन संपत्ति के विभाजन के तरीकों में सामान्य और विधिक रूप से स्वीकृत है, सम्मिलित करने में असफल रहा है ।

2. न्यायिक दृष्टिकोण

2.1 भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 21.1.1976 के काले और अन्य बनाम समेकन उप निदेशक और अन्य ।, 1976 (3) एस.सी.सी. 119 में अपने निर्णय में, कौटुंबिक व्यवस्थापन द्वारा कौटुंबिक समझौते के ज्ञापन के बारे में विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि कौटुंबिक समझौते किसी विशेष साम्या द्वारा, जो उनके लिए विशिष्ट है, शासित होते हैं और यह कि कौटुंबिक समझौते मौखिक हो सकते हैं, जिस

दशा में कोई रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं है और यह कि रजिस्ट्रीकरण केवल तभी आवश्यक होगा जब कौटुंबिक समझौते के निबंधन लिखे जाते हैं ।

2.2 उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया है :-

''किसी कौटुंबिक परिनिर्धारण या समझौते के आधार पर एक ही पूर्वज या किसी निकट संबंधी से अवजनित किसी कुटुंब के सदस्य अपने मतभेदों और विवादों को समाप्त करना और अपने परस्पर विरोधी दावों या विवादित हकों को सदैव के लिए तय करना और सुलझाना चाहते हैं जिससे कि वे शांति प्राप्त कर सके और कुटुंब में पूर्ण सामांजस्य और सद्भाव ला सकें । कौटुंबिक समझौते किसी विशेष साम्या द्वारा, जो उनके लिए विशिष्ट है, शासित होते हैं और यदि वे ईमानदारी से किए गए हों तो उन्हें प्रवर्तित किया जाता है । यद्यपि वे समझौते के रूप में तात्पर्यित नहीं है, किंतु वे सभी पक्षकारों की ऐसी किसी गलती से अग्रसर होते हैं, जिसका प्रारंभ इस बारे में कि वास्तव में उनके क्या अधिकार हैं या उन मुद्दों के बारे में जिन पर उनके अधिकार वास्तव में निर्भर करते हैं, तथ्य की गलती या अज्ञानता से होता है ।

''समझौते का उद्देश्य कुटुंब को लंबी चलने वाली मुकदमेबाजी या स्थायी झगड़ों से, जो कुटुंब की एकता और भाइचारे को बिगाड़ते हैं तथा कुटुंब के विभिन्न सदस्यों के बीच घृणा और कटुता का सृजन करते हैं, बचाना है । यह धन के विस्तृत वितरण द्वारा सामाजिक न्याय को प्रोन्नत करता है । अतः कुटुंब का व्यापक रूप में अर्थ लगाना होगा । यह संपत्ति के लिए विधिक अधिकार रखने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है ।

''न्यायालय का झुकाव कौटुंबिक समझौतों के पक्ष में है । तकनीकी और

तुच्छ आधारों पर ध्यान नहीं दिया जाता है । विबंध का नियम तय पाए गए विवाद को अव्यवस्थित करने का निवारण करने के लिए काम में लाया जाता है ।

''कौटुंबिक समझौता मौखिक भी हो सकता है, जिस दशा में कोई रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं है । रजिस्ट्रीकरण केवल तभी आवश्यक होगा जब कौटुंबिक समझौते के अनुबंधों को लिखा जाता है । यहां भी दस्तावेज के अधीन किए गए किसी कौटुंबिक समझौते के अनुबंधों और कथनों को अंतर्विष्ट करने वाले दस्तावेज और अभिलेख के प्रयोजन के लिए या आवश्यक नामांतरण करने के लिए न्यायालय की सूचनार्थ पहले से ही किए गए कौटुंबिक समझौते के पश्चात् तैयार किए गए ज्ञापन मात्र के बीच विभाजन किया जाना चाहिए । ऐसे मामले में ज्ञापन स्वयं स्थावर संपत्तियों में किसी अधिकार का सृजन या उसका निर्वापन नहीं करता है और इसलिए वह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17(2) की रिष्टि के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए वह अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरणीय नहीं है ।

''इस प्रकार ऐसे किसी दस्तावेज का, जो उसके ज्ञापन से अधिक नहीं था, जो तय पाया गया था, रजिस्ट्रीकरण कराए जाने की अपेक्षा नहीं थी ।

''अतः कोई दस्तावेज जो किसी प्रारंभिक कौटुंबिक समझौते के ज्ञापन की प्रकृति का है और जो न्यायालय के समक्ष नामांतरणों के लिए उसकी जानकारी के लिए फाइल किया गया है, अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरणीय नहीं है और इसलिए उसका कौटुंबिक समझौते के साक्ष्य में उपयोग किया जा सकता है और वह अंतिम तथा पक्षकारों पर आबद्धकर है ।

''तथापि कोई कौटुंबिक समझौता, जो रजिस्ट्रीकरण कराए जाने के

लिए अपेक्षित था रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया था, उन पक्षकारों के विरुद्ध पूर्ण विबंध के रूप में प्रवर्तित होगा जिन्होंने कौटुंबिक समझौते का लाभ उठाया है।

''पक्षकारों द्वारा आगे रखे गए अपने-अपने प्रतिविरोधों के बारे में कार्रवाई करने के पूर्व हम सदैव के लिए विवादों का समाधान करने की दृष्टि से पक्षकारों के बीच किए गए कौटुंबिक समझौतों के प्रभाव और मूल्य पर साधारण रूप से विचार-विमर्श करना चाहेंगे । ''किसी कौटुंबिक परिनिर्धारण या समझौते के आधार पर एक ही पूर्वज या किसी निकट संबंधी से अवजनित किसी कुटुंब के सदस्य अपने मतभेदों और विवादों को समाप्त करना और अपने परस्पर विरोधी दावों या विवादित हकों को सदैव के लिए तय करना और सुलझाना चाहते हैं जिससे कि वे शांति प्राप्त कर सके और कुटुंब में पूर्ण सामांजस्य और सद्भाव ला सकें । कौटुंबिक समझौते किसी विशेष साम्या द्वारा, जो उनके लिए विशिष्ट है, शासित होते हैं और यदि वे ईमानदारी से किए गए हों तो उन्हें प्रवर्तित किया जाता है । इस संबंध में कैर ने अपनी मूल्यवान कृति ''कैर ऑन फ्रॉड'' में पृष्ठ 364 पर कौटुंबिक समझौते की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित प्रासंगिक संप्रेक्षण किए हैं जिन्हें इस प्रकार उद्धृत किया जा सकता है :-

''वे सिद्धांत जो अजनबियों के बीच साधारण समझौते के मामले में लागू होते हैं, समान रूप से कौटुंबिक समझौतों की प्रकृति के समझौतों की दशा में लागू नहीं होते हैं । कौटुंबिक समझौते किसी विशेष साम्या द्वारा, जो उनके लिए विशिष्ट है, शासित होते हैं और उन्हें प्रवर्तित किया जाता है यदि वे ईमानदारी से किए गए हों, यद्यपि वे समझौते के रूप में तात्पर्यित नहीं होते हैं किंतु वे सभी पक्षकारों की ऐसी किसी गलती से अग्रसर होते हैं, जिसका प्रारंभ इस बारे

में कि वास्तव में उनके क्या अधिकार है या उन मुद्दों के बारे में जिन पर उनके अधिकार वास्तव में निर्भर करते हैं, तथ्य की गलती या अज्ञानता से होता है ।

''इस विषय पर इंग्लैंड में विधि लगभग समान है । हेल्सवरी के लॉज आफ इंग्लैंड, वॉल्यूम 17, तीसरे संस्करण में पृष्ठ 215-216 पर कौटुंबिक परिनिर्धारण की मर्मभूत बातों के संबंध में और उनके अस्तित्व को शासित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित उपयुक्त संप्रेक्षण किए गए हैं :

''कोई कौटुंबिक समझौता एक ही कुटुंब के सदस्यों के बीच ऐसा कोई करार है जिसका आशय साधारणतया और युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद या विवादित अधिकारों के बारे में समझौता करके या किसी मुकदमेबाजी से दूर रह कर कौटुंबिक संपत्ति का अथवा कुटुंब की शांति और सुरक्षा का परिरक्षण करके या उसके सम्मान को बचाकर कुटुंब का लाभ करना है ।

यह करार संव्यवहार के लंबे अनुक्रम से विवक्षित हो सकता है किंतु यह किसी विलेख में, जिसको ''कौटुंबिक समझौता'' शब्द लागू किए गए हैं, करार को सम्मिलित करने या प्रभावी करने के लिए अधिक सामान्य है ।

कौटुंबिक समझौते ऐसे सिद्धांतों द्वारा शासित होते हैं जो अजनबियों के बीच संव्यवहारों को लागू नहीं है । न्यायालय, कौटुंबिक समझौतों के अधीन पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चय करते हुए या ऐसे समझौतों को अव्यवस्थित करने के लिए दावों का विनिश्चय करते हुए, विचार करता है कि विस्तृत दृष्टिकोण से कुटुंबों के अधिकतम हित में क्या होगा और वह उन विचारणों का ध्यान रखता है जो ऐसे व्यक्तियों के बीच, जो एक ही कुटुंब के सदस्य नहीं हैं, संव्यवहारों के बारे में कार्रवाई करते समय ध्यान में नहीं रखे

जाएंगे । ऐसे विषय जो अजनबियों के बीच समरूप संव्यवहारों की विधिमान्यता के लिए घातक होंगे, कौटुंबिक समझौतों के आबद्धकारी प्रभाव के लिए आपत्तिपूर्ण नहीं है ।''

2.3 ऊपर निदर्शित सिद्धांत उच्चतम न्यायालय के और प्रिवी काउंसिल तथा उच्च न्यायालयों के भी विनिश्चयों के लंबे अनुक्रम में निम्नलिखित मामलों में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित और दक्षतापूर्वक प्रस्तुत किए गए हैं :

खुन्नी लाल ब. गोविंद कृष्ण नारायण, आईएलआर 33 ऑल 356 ;

मुसम्मात हिरण बीबी ब. मुसम्मात सोहन बीबी, एआईआर 1914 पीसी 44;

साहू माधो दास ब. मुकंद राम, एआईआर 1955 एससी 481 ;

रामचरण दास ब. गिरजा नंदिनी देवी, एआईआर 1966 एस.सी. 323;

टेक बहादुर भुजिल ब. देबी सिंह भुजिल, एआईआर 1966 एससी 292;

मातुरी पुल्लैह ब. मातुरी नरसिम्हम्, एआईआर 1966 एससी 1836;

कृष्ण बिहारीलाल ब. गुलाबचंद, 1971(1)एससीसी 837;

एस.शंनमुगम पिल्लै ब. वी. के. शंनमुगम पिल्लै, 1973(2) एससीसी 312;

2.4 इस प्रकार (ऊपर विनिर्दिष्ट) विनिश्चयों के पुनर्विलोकन से यह प्रतीत होगा कि न्यायालयों ने कौटुंबिक समझौतों की विधिमान्यता के बारे में बहुत उदार और व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है और उसकी हमेशा पुष्टि करने और उसे बनाए रखने का प्रयास किया है । न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में केंद्रीय विचार यह है कि यदि पक्षकारों की सहमति से मामला तय हो गया है तो उस पर तुच्छ या अमान्य आधारों पर करार के पक्षकारों द्वारा नये सिरे से पुनः विचार करने की अनुज्ञा नहीं दी

जानी चाहिए ।

3. सिफारिश

3.1 मौखिक विभाजन या कौटुंबिक समझौता अत्यधिक मूल्यवान शक्ति है जिसके द्वारा किसी कुटुंब की शांति, सुख और कल्याण सुनिश्चित किया जाता है और मुकदमेबाजी से बचा जाता है । यह विनिर्दिष्ट रूप से किसी कुटुंब के अशिक्षित सदस्यों या ऐसे सदस्यों की दशा में, जिनके पास विधिक प्रक्रिया/सलाह आदि के खर्चे सहने के साधन नहीं है, सहायक है ।

3.2 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 के संशोधन द्वारा ऐसा मौखिक विभाजन और कौटुंबिक समझौता, जो अधिनियमिति के पूर्व किया गया था, शून्य हो जाएगा । अतः यह आयोग ''विभाजन'' की परिभाषा में मौखिक विभाजन और कौटुंबिक समझौता सम्मिलित करने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के स्पष्टीकरण में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव करता है ।

3.3 हम तदनुसार सिफारिश करते हैं ।

(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्)

अध्यक्ष

हस्ता/०

(डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल)

सदस्य-सचिव

दिनांक : 30 जुलाई, 2008